न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादी :	बनाम	प्रतिवादीगण :
पन्नाराम पुत्र शिवलाल उर्फ श्योलाल जाति जाट निवासी भादवा		1– तहसीलदार साहब, परबतसर

दावा बाबत :– घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा , अधिवक्ता वादी

:– श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :– 193 / 2021 निर्णय दिनांक :– 28.01.2022

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम निरंजन बोहरा ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 59, 60 कुल रकबा 7.1200 हैक्टर जमीन स्थित हैं उक्त कृषि भूमि में वादी सह खातेदार हैं तथा वादी व वादी के पिता का नाम पन्नाराम पुत्र शिवलाल उर्फ श्योलाल हैं जबकि जमाबन्दी में पन्ना पुत्र अर्जुन दर्ज है अर्जुन वादी के दादा हैं जिनका नाम गलती से वादी के पिता के स्थान पर दर्ज हो गया हैं वादी के पिता शिवलाल उर्फ श्योलाल की मृत्यु हो चुकी हैं वादी के पिता का नाम भी राजस्व रेकर्ड में श्योलाल पुत्र अर्जुन दर्ज हैं वादी के पिता के नाम के स्थान पर दादा का नाम गलती से दर्ज हो रखा हैं वादी अपने पिता का नाम जमाबन्दी में अर्जुन दर्ज है वादी के पिता का नाम अर्जुन के स्थान पर शिवलाल उर्फ श्योलाल दर्ज किया जावे इसलिये वादी को उपरोक्त आराजियात का उपयोग उपभोग करने में भारी समस्या हो रही है वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजियात में वादी के पिता का नाम शिवलाल उर्फ श्योलाल है जो गलती से अर्जुन दर्ज हो रखा हैं वादी अपने पिता का नाम अर्जुन के स्थान पर शिवलाल उर्फ श्योलाल का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में घोषणा करवाते हुये रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ चाही है।
2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकार ने मय पटवारी हल्का जवाब प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प में प्रस्तुत किया तत्पश्चात वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28.01.2022 को तारीख पैशी नियत कर सूचित किया गया। वादी द्वारा नियत तिथि को साक्ष्य वादी में अपना शपथ पत्र मय बयान लिये जाकर दस्तावेजो को प्रदर्शित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

3. वादी के वाद पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया।

4. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 59, 60 कुल रकबा 7.1200 हैक्टर दर्ज है। प्रस्तुत जमाबन्दियो के अनुसार वादी का नाम पन्ना पुत्र अर्जुन, श्योलाल पुत्र अर्जुन दर्ज हैं जिससे वादी का कथन है कि वादी व वादी के पिता का नाम पन्नाराम पुत्र शिवलाल उर्फ श्योलाल हैं जबकि जमाबन्दी में पन्ना पुत्र अर्जुन दर्ज है अर्जुन वादी के दादा हैं जिनका नाम गलती से वादी के पिता के स्थान पर दर्ज हो गया हैं वादी के पिता शिवलाल उर्फ श्योलाल की मृत्यु हो चुकी हैं वादी के पिता का नाम भी राजस्व रेकर्ड में श्योलाल पुत्र अर्जुन दर्ज हैं वादी के पिता के नाम के स्थान पर दादा का नाम गलती से दर्ज हो रखा हैं वादी अपने पिता का नाम जमाबन्दी में अर्जुन दर्ज है वादी के पिता का नाम अर्जुन के स्थान पर शिवलाल उर्फ श्योलाल दर्ज किया जावे तथा वादी ही उक्त आराजियात पर काबिज है लेकिन नाम गलत दर्ज होने से वादी आराजियात का उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है तथा वादी ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आदि अन्य सभी दस्तावेजो में वादी का नाम पन्ना पुत्र शिवलाल उर्फ श्योलाल होने से राजस्व रेकर्ड में पिता का नाम अर्जुन के स्थान पर शिवलाल उर्फ श्योलाल दर्ज है जिससे वादी का वाद पत्र सिद्व होता है जिससे स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भादवा के खसरा नम्बर 59, 60 कुल रकबा 7.1200 हैक्टर में दर्ज वादी के पिता का नाम अर्जुन के स्थान पर शिवलाल उर्फ श्योलाल घोषित किया जाता हैं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/01/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)